

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 57

तारीख दायर :-13.08.2020

दिनांक निर्णय :-02.12.2020

पटवारी हल्का फिरोजपुर

बनाम

तुलसी देवी


आज पत्रावली मु0- नायब तहसीलदार कोर्ट पेश हुई। गैरसायल अनुपस्थित, जवाब पेश नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का सम्बत् 2077 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।


अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्रीमती तुलसी देवी पत्नी विश्राम मीना जाति मीना निवासी बावड़ी को आराजी ख0न0 04 रकबा 0.20 किस्म चारागाह वाके ग्राम बावडी से बेदखल किया जाता है, तथा सरह लगान 1.20 की 50 गुणा में मु0 60.00/-रूपये कायमी कराई जावे।

टीआरए व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावे।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानुनगों को लिखा जावे।


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (जिला अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष..2020-21
के पृष्ठ संख्या...68 पर चार्ज, 60/-
राशि कायम किये गये। 10 दि. 1000/-

त. रा. लेखाकार